3. दस वर्ष की संतोषजनक सेवा में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत ग्रेड पे 2400 के स्थान पर रूपया 2800 दिये जाने हेतु पुनः लेखा परीक्षा (वित्त अनुभाग) की एक प्राप्त टिप्पणी को प्रस्तुत करते हुए प्रत्यावेदन शासन/परिषद में प्रेषित किया गया है।

4. उ0प्र0 सरकार के कैबिनेट के निर्णय दिनांक 23.09.2015 के परिप्रेक्ष्य में लेखपाल संवर्ग को मण्डल कैडर बनाकर मण्डलायुक्तों को स्थानान्तरण के अधिकारी देने विषयक प्रकरण में दिनांक 24.09.2015 को मा0 प्रमुख सचिव राजस्व उ0प्र0 शासन व मा0 आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद लखनऊ से मिलकर विरोध पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है तथा मा0 मुख्यमंत्री जी सहित सभी सम्बन्धितों को विरोध पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं। अभी तक कैबिनेट के निर्णय की प्रति अथवा संशोधन आदि सम्बन्धी कोई भी अभिलेख शासन (राजस्व अनुभाग–9) को प्राप्त नहीं है। सम्पूर्ण प्रक्रिया में एक माह का समय लग सकता है। इस प्रकरण के अभिलेख प्राप्त होते ही आप सभी की भावनाओं के अनुरूप सम्यक् विचारोपरान्त सभी पहलुओं पर विचार करके शीघ्रातिशीघ्र संवर्ग हित में कार्यवाही की जायेगी। किसी भी स्तर पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है/जब तक निर्णय सम्बन्धी अभिलेख संस्था को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक भी शान्तिपूर्वक नहीं बैठना है। आदर्श आचार संहिता लागू है उसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 30.09.2015 को कम से कम 21 सदस्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी जनपद मुख्यालय पर आकर देना होगा तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवायें। संस्था की सर्वोच्च समिति पुनः दिनांक 30.09.2015 को राजधानी में उपस्थित रहकर सरकार को ज्ञापन प्रेषित करेगी।

5. कृषि गणना का मानदेय भारत सरकार से पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। शासन से अभी राजस्व परिषद को प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया में लगभग 01 माह का समय लग सकता है।

6. लेखपालों को लैपटाप देने के प्रकरण में शासन अभी पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग के तौर पर प्रदेश के कतिपय जनपदों में ही ई–डिस्ट्रिक्ट चला रहा है। लेखपालों के प्रशिक्षण से लेकर अन्य बिन्दुओं जैसे साफ्टवेयर की तैयारी आदि पर गम्भीरता से शासन परिषद में मंथन चल रहा है। इसलिए अभी समय लग सकता

शेष पृष्ठ 3 पर

है। इस बीच में संस्था का प्रयास है कि सदस्यों को नेट पर होने वाला व्यय प्राप्त हो जाये। आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए बहिष्कार के निर्णय को अग्रिम निर्देशों तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

7. मतदाता सूची के परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बूथ लेवल अधिकारी एवं सुपरवाइजर को क्रमशः रूपये 2500 व 5000 की दर से एक मुश्त पारिश्रमिक भुगतान हेतु शासनादेश दिनांक 18.06.2015 संस्था वेबसाइट पर उपलब्ध है। तद्नुसार बी0एल0ओ0 के रूप में कार्य करने वाले लेखपालों को पूर्व से प्रदत्त मानदेय के अतिरिक्त 2500/–रू0 एवं सुपरवाइजर के रूप में कार्य करने वाले लेखपालों को (प्रथम बार शुरूआत) 5000/–रू0 दिलवाना सुनिश्चित करें।

8. भूमि विवाद के शिकायती प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 50033 ऑफ 2015 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2015 के क्रम में राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 16.09.2015 से सभी सदस्यों को अवगत करायें। संस्था वेबसाइट पर दोनों आदेश उपलब्ध हैं।

9. दिनांक 30.09.2015 को दिये जाने वाले ज्ञापन का प्रारूप संस्था वेबसाइट पर उपलब्ध है। तद्नुसार केवल अपने लेटर पैड पर उक्त भाषा को टाइप करवाना होगा।

10. संस्था के पदाधिकारियों की सूची एवं संस्था शुल्क तत्काल अपने खण्ड मंत्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. शासनादेश दिनांक 14.09.2015 द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना एवम् राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19884/– के स्थान पर 46080/– रु0, शहरी क्षेत्र में 25546/– के स्थान पर 56460/– रु0 वार्षिक कर दिया गया है, उक्त शासनादेश संस्था वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उक्त सभी कार्यवाहियों की जानकारी आम सदस्यों को भी अवगत करा दी जायें।

अनुपालनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामंत्री

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकृत संख्या : 75–4/II–A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग, रोडवेज बस स्टेशन के सामने, (सुजानपुरा) ओम नगर, आलमबाग, लखनऊ
Web : www.lekhpal.wordpress.com, E-mail : lekhpal.up@gmail.com

रविन्द्र नाथ त्रिपाठी
प्रदेश अध्यक्ष
सम्पर्क ☎ : 0551–2241716, मो0: 9415548535
पत्राचार : मो0 तिवारीपुर, निकट गायत्री मन्दिर, गोरखपुर

अवधेश सिंह चौहान
प्रदेश महामन्त्री
सम्पर्क ☎ : 05872–252057, मो0: 9415172656
पत्राचार : डी.सी. रोड, मो0 सिकटिहा, लखीमपुर–खीरी

* उपाध्यक्ष गण *

हरदेव शर्मा
(पश्चिमी जोन)
मो. 09412869499

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
मो. 09450223683

पुट्टी लाल यादव
(पूर्वी जोन)
मो. 09450088433

* कोषाध्यक्ष *

अमलेश कुमार शर्मा
मो. 09837062257

* संगठन मंत्री गण *

कृष्ण कुमार सिंह
(पश्चिमी जोन)
मो. 09058499749

सुशील कुमार श्रीवास्तव
(मध्य जोन)
मो. 09415525914

इफ्तखार अहमद
(पूर्वी जोन)
मो. 09450548706

* आडीटर *

राज किशोर अवस्थी
मो. 09936642639

* प्रभारी कम्प्यूटर *

बद्रीनाथ उपाध्याय
मो. 9450775146

पत्रांक :

दिनांक 28.09.15

सेवा में,

समस्त जिलाध्यक्ष/सचिव/संयोजक साहबान्
जनपद शाखायें उ0प्र0 लेखपाल संघ।

प्रिय बन्धुवर,

प्रदेश कार्यसमिति की बैठक दिनांक 20.08.2015 में लिये गये निर्णयों एवं आप सभी के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों आदि पर तीव्रता से सम्यक कार्यवाही करवाने हेतु केन्द्रीय समिति भरसक प्रयत्नशील है। लेखपाल संवर्ग से राजस्व निरीक्षक पद पर प्रोन्नति हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद के प्रयासों से दिनांक 23.08.2015 को मा0 राजस्व मंत्री उ0प्र0 शासन द्वारा वार्ता सम्पन्न करा दी गयी थी, उसके पश्चात् से परिषद द्वारा निरन्तर दो पत्र भेजने के बाद पुनः दिनांक 24.09.2015 को अनुस्मारक भेजा गया है इसके पश्चात् भी डी0पी0सी0 की तिथि आयोग द्वारा निर्धारित न करके जानबूझकर नयी–नयी अड़ंगेबाजी पैदा की जा रही है। इस प्रकरण पर दिनांक 30.09.2015 को मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद से वार्ता पुनः प्रस्तावित है। डी0पी0सी0 में कुछ समय अवश्य लग रहा है, परन्तु कोई निराशा की स्थिति नहीं है, परिणाम सार्थक प्राप्त होंगे।

2. मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में पूर्व में सम्पन्न बैठक के पश्चात जारी कार्यवृत्त दिनांक 27.10.2014 में उल्लिखित सहमति के बिन्दुओं पर भत्ते आदि देने की कार्यवाही हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व परिषद द्वारा डी0ओ0 लेटर शासन को भेजा गया है। वित्त विभाग द्वारा नये वेतन आयोग की बात कहकर कुछ अड़चनें पैदा की जा रही हैं जिनसे संस्था सजग होकर प्रयत्नशील है।

शेष पृष्ठ 2 पर